न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 74 / अपील / 2022 (GCMS No. 2022 / 186)	06.09.2022	18.02.2025

1. पन्नालाल आ. गोद पिता गोपाल जाति बैरवा निवासी जवाहर नगर (बिजनावर), तहसील व जिला बून्दी

— अपीलांट

बनाम

1. सुगना पुत्री गोपाल पत्नी हजारी लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम देलून्दा तहसील व जिला बून्दी
2. नटी बाई पुत्री गोपाल पत्नी रामावतार जाति बैरवा निवासी ग्राम पादडा, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
3. ज्याना बाई पुत्री गोपाल पत्नी पप्पूलाल जाति बैरवा निवासी उंदालिया की डूंगरी, सरकारी स्कूल के पास, बून्दी तहसील बून्दी
4. बच्चीबाई पत्नी गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जवाहर नगर, तहसील व जिला बून्दी
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी,
6. राजस्थान राज्य जर्ये उप पंजीयक, बून्दी

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट
रेस्पो. सं. 5 व 6 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 118 दिनांक 16.10.2000 ग्राम सालरिया से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार गोपाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 74/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/186 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. पेश किया गया, जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेज रेकार्ड पर लिये गये।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 245 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा (1.1920 हैक्टेयर) वाकेग्राम सालरिया, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि के मूल खातेदार गोपाल वल्द नारायण कौम बैरवा निवासी ग्राम जवाहर नगर थे, चूंकि गोपाल वल्द नारायण के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था, केवल तीन पुत्रिया सुगना, ज्यादा, नटी मौजूद थी। इस कारण गोपाल जी ने अपीलांट पन्नालाल को अपने जीवनकाल में ही गोद लेकर अपना पुत्र अंगीकार कर लिया था जिसका पंचनामा बना हुआ है, तब से अपीलांट पन्नालाल गोपालजी का पुत्र जाना व पहचाना जाता है तथा ग्राम जवाहर नगर में निवास करता चला आ रहा है। अपीलांट के सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचानपत्र, बैंक पासबुक, गैस डायरी आदि में पन्नालाल आ. गोपाल अंकित है। गोपाल जी की मृत्यु दिनांक 12.04.1988 को हो गई, उस समय अपीलांट ने बतौर पुत्र गोपाल जी के सभी मृत्यु संस्कार संपादित किये एवं गोपाल जी की पगड़ी का दस्तुर भी समाज के व्यक्तियों के सामने पगडी बंधाई जाकर अपीलांट के किया गया। इसी कारण गोपाल जी के फोत होने के बाद उनकी ग्राम मण्डावरा में स्थित भूमि खसरा सं.396/2 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा वर्तमान खसरा सं. 516/396 रकबा 1.5765 हैक्टेयर का नामान्तरकरण सं.357 खोला गया, उसमें खातेदार गोपाल के पुत्र पन्नालाल, बेवा बच्चीबाई व तीन पुत्रियां सुगना, ज्याना, नटी सजरा में अंकित करके नामान्तरकरण दर्ज किया गया, लेकिन उक्त गोपाल आ. नारायण की अन्य भूमि वाके ग्राम सालरिया के खाते में जो फोती नामान्तरकरण सं. 118 दिनांक 16.10.2000 खोला गया, उसमें वैध वारिस व उत्तराधिकारी पुत्र पन्नालाल को छोड़ते हुये केवल रेस्पो. सं. 1 लगायत 4 का नाम नामान्तरकरण में दर्ज किया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त नामान्तरकरण खोलते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार गोपाल के सम्पूर्ण वारिसान की उचित रूप से जांच नहीं की गई और न ही गांव के पंचो से पूछताछ की गई और न ही कोई दस्तावेज लिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 से मिलीभगत कर अपीलांट के गोदपुत्र होने के तथ्य को छिपाकर गोपाल के कोई पुत्र संतान नहीं होना बताकर नामान्तरकरण खोला गया। जिसके विरूद्ध मियाद लागू नहीं होती है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

चूंकि उक्त नामान्तरकरण अपीलांट की जानकारी के बिना खोला गया एवं उक्त नामान्तरकरण खोलते समय अपीलांट को नहीं सुना गया, जब अपीलांट ने 1 माह पूर्व उक्त खाते की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई। तब राजस्व रिकार्ड की जानकारी कर नामान्तरकरण की नकल दिनांक 25.07.2022 को प्राप्त की जाकर यह अपील अन्तर्गत अवधि मध्य पेश की गई है। फिर देरी मानी जावे तो देरी माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट पन्नालाल ने स्वयं को गोपाल आ. नारायण बैरवा का गोदपुत्र होना प्रकट करते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की शुरू से ही जानकारी रही है इसलिए अपील अपीलांट मियाद बाहर है। अपीलांट ने अपनी अपील में देरी का कोई कारण नहीं बताया, इसलिए अपील में विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जावे। अपील अपीलांटस मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट के पक्ष में कोई गोदपुत्र पंजीकृत नहीं करवाया गया है। गोदपुत्र का प्रश्न राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय शिडयूल में राजस्व न्यायालय में श्रवण योग्य नहीं है। ऐसे में नामान्तरकरण की संक्षिप्त विचारण कार्यवाही में गोदपुत्र निर्णीत नहीं किया जा सकता है। अपीलांट को व्यवहार न्यायालय में गोद की घोषणा करवानी चाहिए। अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार वैध उत्तराधिकारियों के पक्ष में स्वीकार किया गया है, जो विधिसम्मत है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 4 द्वारा अपने कथन के समर्थन में 1987 आरआरडी पेज 106, 1992 आरआरडी पेज 17, 2012 आरआरडी पेज 501, 2024(1) आरआरटी पेज 625 एवं 2023(1) आरआरटी पेज 77 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पेश किए गए न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होने पर दिनांक 25.07.2022 को नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम सालरिया में विस्थित आराजी खसरा सं. 245 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि का गैर खातेदार गोपाल आ. नारायण जाति बैरवा था। गैर खातेदार गोपाल के फोत हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण मु.बच्चीबाई बेवा गोपाल, सुगना, ज्याना, नटी पुत्रियां गोपाल कौम बैरवा निवासी जवाहर नगर के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि अपीलांट खातेदार गोपाल का गोदपुत्र होने पर भी गोपाल की मृत्यु उपरांत तस्दीक विरासत नामान्तरकरण में उसका नाम दर्ज नहीं कर केवल बेवा एवं तीनों पुत्रियों का नाम दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है, जिसे अपील में चुनौती दी गई है।

यहां उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर अपीलांट के पक्ष में निष्पादित गोदनामा उपलब्ध नहीं है। अपीलांट द्वारा एक सादा कागज की फोटोकापी पेश की गई है, जिसे गोदपत्र नहीं माना जा सकता है। गोद की विधिक प्रक्रिया के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित नहीं होने से अपीलांट को गोपाल आ. नारायण का गोदपुत्र होने की सक्षम न्यायालय से घोषणा करवानी चाहिए। गोद के लिए प्राकृतिक माता पिता एवं गोद लेने वाले माता–पिता की सहमति आवश्यक है जबकि हस्तगत प्रकरण में स्वर्गीय गोपाल की पत्नी बच्चीबाई अपीलांट को गोदपुत्र स्वीकार नहीं कर रही है। वैसे भी राजस्व न्यायालय को गोदपुत्र घोषित करने का अधिकार नहीं है, केवल सिविल न्यायालय ही गोदपुत्र घोषित कर सकता है। विरासत के आधार पर मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी